

## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

आदेश //

क्रमांक ८)६१२३ /

जबलपुर, दिनांक २५/११/२०१८

श्री अंकुर जायसवाल आत्मज श्री अशोक कुमार जायसवाल, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर का त्यागपत्र दिनांक 24.11.2018 अपरान्ह से स्वीकृत करते हुये उन्हें कार्यभार मुक्त किया जाता है।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
राजस्थार जनरल  
24/11/19

पृष्ठांकन क्रमांक ३१६१२४ /

जबलपुर, दिनांक २४ / 11 / 2018

### **प्रतिलिपि :-**

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
  3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
  4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. अनुभाग अधि. स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
  8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/सी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  10. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  11. श्री अंकुर जायसवाल आत्मज श्री अशोक कुमार जायसवाल, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

— ६४ —